

## GAUTAMBUDDHA NAGAR DISTRICT ADMINISTRATION

## **GUIDELINES FOR RELAXATION UNDER**

**CORONA CURFEW W.E.F. 7 JUNE 2021** 

## **Markets and Shops**

- Shops and markets outside containment zones will be allowed to remain open from 7 am to 7 pm from Monday to Friday
- Vegetable markets in the densely populated areas will function in open places

# Complete Curfew on Weekends after Friday 7 PM

**Government Employees and Staff** 

over the weekend, cleanliness, sanitisation and fogging campaigns will be carried out

While there would be full

would be 50 per cent

attendance on rotation.

A COVID help desk must be

established at all offices

attendance for the frontline

government employees, there

workers, for the rest of the



#### **Restaurants and Eateries**

- Only home delivery allowed from Restaurants
- Street hawkers and Vendors allowed with Covid appropriate behaviour and distancing



## Industries

 Industrial units will stay open following Covid appropriate guidelines with mandatory Covid help desk



### Religious places and gatherings

- Not more than 5 devotees will be allowed inside a religious place at a time
- Not more than 25 members allowed in a wedding function subject to social distancing and sanitisation.
- A maximum of 20 people will be allowed at a funeral procession



## Schools, colleges and gyms

- Schools, colleges and educational institutes will remain closed. Online learning to be encouraged
- Coaching centres, cinema halls, gymnasiums, swimming pools, clubs and shopping malls will remain closed







## **Private Offices**

- The private sector has been asked to encourage the employees to work from home.
- No employee to be allowed with Symptoms
- Setting up of a Covid help desk is mandatory



## **Passengers and Vehicles**

- Screening of passengers to be done as per appropriate guidelines
- 2 Passengers allowed in 3 wheelers
- 3 Passengers allowed in e-rickshaw
- 4 Passengers allowed in 4 wheelers all subject to propers distancing and wearing of masks





#### कार्यालय

## जिलाधिकारी,

पत्रांक | 06 / सी०आर०ए०—कोविड—19 / 2021

गौतमबुद्धनगर।

#### आदेश

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह(गोपन) अनुभाग—3, लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश संख्या—720/2021—सीएक्स—3, दिनांक 20.04.2021 एवं शासनादेश संख्या—726/2021—सीएक्स—3, दिनांक 21.04. 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा पूर्व पारित कार्यालय आदेश संख्या—68/सी0आर0ए0—कोविड—19/2021 दिनांक 30.05.2021 को अवक्रमित करते हुए जनपद गौतमबुद्धनगर में कन्टेनमेंट जोन के बाहर दिनांक 07.06.2021 से प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक कोरोना कपर्थू में निम्नवत् गतिविधिया इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि रात्रिकालीन कप्यू सायं 07:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक लागू रहेगा एवं प्रत्येक शनिवार व रविवार का भी साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कपर्यू लागू रहेगा:—

- 1. जनपद गें दुकान/बाजार प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक खोलने की अनुमित सपाह में 05 दिन होगी व शिनवार व रिववार साप्ताहिक बन्दी रहेगी। साप्ताहिक बन्दी में पूरे जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाईजेशन एवं फॉिगं का अभियान चलाया जाये। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी। उपर्युक्त अनिवार्यता का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। दुकान/बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमित होगी।
- 2. कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रन्टलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जायेगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
- 3. निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता / दो गज की दूरी व सैनेटाइजर के प्रयोग की गाइड लाइन्स के साथ खुलेंगे। निजी कम्पनियों वर्क फ्राम होम की व्यवस्था लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापन की अनिवार्यता होगी।
- 4. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत किर्मियों को अपने आई0डी0 कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने—जाने की अनुमित प्रदान की जायेगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
- 5. सब्जी मण्डियां पूर्व की भॉति खुली रहेंगी, परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मिडयों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेंगे। प्रत्येक सब्जी मण्डी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
- 6. रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ—साथ स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जायेगी, जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी।
- 7. समस्त सरकारी व निजी कार्यालय में, औद्योगिक ईकाई में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं मण्डी स्थल आदि में उपरोक्तानुसार कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा, जिसमें थर्मल स्कैनिंग हेतु इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक कोविड हेल्प डेस्क पर एक रिजस्टर की व्यवस्था की जायेगी एवं संदिग्ध व लक्षणयुक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमित न देकर इसकी सूचना जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ(नाम, आई.डी., कार्ड व मोबाइल नं0) भेजी जायेगी, जिससे ऐसे व्यक्तियों की स्कीनिंग व टेस्टिंग तत्काल कराई जा सके।
- 8. स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यिमक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमित विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।बेसिक/



माध्यमिक / उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यो हेतु विद्यालया आने—आने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी।

- 9. बैंकों, बीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखायें / कार्यालय खुले एवं कियाशील रखे गये है। अपने ग्राहकों के लिए गतिशीलता के साथ दो गज की दूरी के नियमों / कोविड प्रोटोकाल का प्रयोग करते हुए सेवा प्रदान की जा रही है। बैंकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक / वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आई0डी0 के आधार पर रोका न जाये तथा बैंक के खुले रहने की अवधि में उनके कामगाज में बाधा न डाली जाये।
- 10. रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमित होगी । इसके लिए अतिरिक्त हाई—वे व एक्सप्रेस—वे के किनारे ढाबें तथा ठेले/खोमचे वालों को खोलने की अनुमित, दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी।
- 11. ट्रॉसपोर्ट कम्पनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कम्पनियों के कार्यायल तथा वेयर हाऊस को खोलने की अनुमित होगी, जिससे कम्पनी द्वारा माल/आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- 12. कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों / जोन में धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्वालु न हों।
- 13. जनपद के अन्दर बसों के चलाने की अनुमित इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जायेगा। स्टैण्डिंग की अनुमित नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक/परिचालकों को मास्क/ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों का नियमित सैनेटाइजेशन किया जायेगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाये। बस स्टेशन अथवा बस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बूलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके।
- 14. दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमित होगी। दोपिहया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट / मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा 03 पिहया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चिलत ई—रिक्शा में चालक सिहत 03 व्यक्ति एवं चार पिहया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठनें की अनुमित होगी।
- 15. अण्डे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ—सफाई तथा सैनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विकय न किया जाए।
- 16. जनपद में गेहूं क्रय केन्द्र एवं राशन की उचित दर की दूकानें खुली रहेगी।
- 17. कृषि कार्य से सम्बन्धित यथा खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से सम्बन्धित उत्पाद तथा कृषि संयत्रों की दुकानों खुली रहेंगी।
- 18. वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी।
- 19. राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड—19 के प्रोटोकॉल यथा मास्क की अनिवार्यता व सैनेटाइजर व दो गज की दूरी के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए खोले जायेंगे। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाये, जिससे अनावश्यक भीड़—भाड़ न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर न हो। राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वाद की संख्या के आदेश को अलग से जारी करेंगे।
- 20. बाढ़ आदि की तैयारी के कम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे साथ—साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउन्टर भी खुले रहेंगे।
- 21. कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉल्स पूर्णतः बन्द रहेंगे।
- 22. जनपद में समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड—19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होंगे।
- 23. शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्ती / प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी:—
  - बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड—19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।



- II. आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- III. आयोजनों / समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सैनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी।

उपरोक्त शर्तो / प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजाकों की होगी।

- 24. शव—यात्रा में कोविड—19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
- 25. कोरोना के रोकथाम हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाये। जन सामान्य से यह अपेक्षा की जाये कि सभी नागरिक कोरोना गाइडलाइन का स्वयं पालन कर इस महामारी से लड़ने में आपना सहयोग प्रदान करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सुहास एल.वाई.) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

#### प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित-

- 1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 5. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

#### प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा / ग्रेटर नौएडा / यीडा।
- 7. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
- 8. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 9. समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
- 10. नगर मजिस्ट्रेट नौएडा / ग्रेटर नौएडा।
- 11. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
- 12. मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 13. क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 14. मुख्य अग्निषमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 15. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 16. सहायक निदेषक कारखाना, गौतमबुद्धनगर।
- 17. उपायुक्त श्रम, गौतमबुद्धनगर।
- 18. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, गौतमबुद्धनगर।
- 19. जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
- 20. जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 21. समस्त मण्डली सचिव, गौतमबुद्धनगर।
- 22. अभिहीत अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 23. समस्त अधिषासी अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत, गौतमबुद्धनगर
- 24. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।